न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— एम0आर0बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 19/2016

1. श्रीमती कश्मीरीदेवी आयु करीब 54 वर्ष पत्नी रोहताशश, जाति मेघवाल पेश खेती, निवासी ग्राम शहबाजपुर खालसा पोस्ट माजरा गुरदास तहसील व जिला रेवाड़ी, हरियाण हाल निवासी पंजी का बास तन कीरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू, राज0।
2. श्रीमती सरोज देवी पत्नी नन्दलाल, जाति मेघवाल निवासी ग्राम शहबाजपुर खालसा पोस्ट माजरा गुरदास तहसील व जिला रेवाड़ी, हरियाण हाल निवासी पंजी का बास तन कीरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू, राज0।
3. रामू पुत्र कच्छन सिंह, जाति मेघवाल, निवासी नीयाला तहसील बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा हाल निवासी पंजी का बास तन कीरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू, राज0।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. भागीरथ आयु 68 वर्ष पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी रसुलपुर तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
2. मृतक पठानाराम पुत्र मोहनलाल जाति बाजीगर निवासी पंजी का बास तन कीरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू, व निवासी हीजरावाकंला तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद हरियाण नोट पूर्व में ही देहान्त हो गया ।

2/1 लाजपत पुत्र स्व0 पठानाराम जाति बाजीगर निवासी हीजरावा कला, तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद हरियाणा।

2/2 श्रीमती हंसो पत्नी स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/3 जनक पुत्र स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती,तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/4 गीता पुत्री स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, टीबी जिला हनुमानगढ।

2/5 चीमा पुत्री स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/6 ललता पुत्र स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/7 संतोष पुत्री स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती,तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/8 जसवंत पुत्र स्व. बलजीत जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/9 मलकितपुत्र स्व पठानाराम जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/10 विधा पुत्री स्व पठानाराम जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/11 लक्ष्मा पुत्री स्व पठानाराम जाति बाजीगर निवासी पिरका मण्डी, नंबरदार वाली मोरी बालमिकी बस्ती, तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/12 सत्या पुत्री स्व पठानाराम पत्नी प्रशनकुमार जाति बाजीगर निवासी रतनगढ, तहसील रतीया जिला फतेहाबाद हरियाणा।

Scanned by CamScanner

2/13 सुखो पुत्री स्व0 पठानाराम पत्नी बलबीर जाति बाजीगर निवासी रतनगढ तहसील रतीया जिला फतेहाबाद हरियाणा।

3. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राज.।
—रेस्पोन्डेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02..2016 तहसीलदार उदयपुरवाटी
प्रार्थना पत्र अं0धारा 183 बी.राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उनवानी भागीरथमल बनाम पठाना राम मुकदमा नंबर 02/2015

उपस्थितिः—

1 .श्री संदीप काजला, एडवोकेट —— ——————————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री मदन सिंह गिल एडवोकेट ——— —— रेस्पोन्डेन्टस की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 22.5.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2016 मुकदमा नंबर 02/2015 बमुकदमा उनवानी भागीरथ मल बनाम पठानाराम आदि अं0 धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि— जमीन खसरा नंबर 346/2 रकबा 1.74 हैक्टर व खसरा नंबर 347/1 रकबा 0.51 हैक्टर कुलरकबा 2.25 हैक्टर वाके ग्राम कीरपुरा के बाबत रेस्पोडेंट नंबर 1 के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्टस/अनावेदकगण नंबर 2 से 4 के खिलाफ निर्णय पारितकर अपीलान्टस का कब्जा हटाया जाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का कब्जा करवाने का आदेश दिया। न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 02.02.2016 को अपास्त करवाने व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र अं0 धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम को निरस्त करवाने के लिए अपीलांटस की ओर से यह अपील पेश कर निवेदन है कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 02.02.2016 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारीज होने योग्य है। तथाकथित इकरारनामें के आधार पर रेस्पोडेंट नंबर 1 का दावा अपीलांटस व पठानाराम के खिलाफ दावा उनवानी भागीरथमल बनाम पठानाराम आदि दावा सं0 110/2011 व 202/2013 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 झुंझुनू में विचाराधीन है। इस दावे में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने पठानाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2013 को होना दर्ज कर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भागीरथमल के अनुसार पठानाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2013 को हो गयी। इसके बावजूद भी मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ आवेदन पत्र पेश करने से आवेदन पत्र व निर्णय दिनांक 02.02.2016 खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर प्रार्थना पत्र पर अं0धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधि0 दर्ज करने में भूल की है। योग्य अदालत मातहत ने प्रकरण में कोई भी साक्ष्य न लेकर निर्णित करने में भूल की है। साक्ष्य के लिए आदेशिका में आदेश

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

Scanned by CamScanner

ही दर्ज नहीं किया। अपीलांटस व उसके अभिभाषक की बहस बिना सूने ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने तथा कथित इकरारनाम दिनांक 11.07.2007 में प्रतिफल राशि 2 लाख 10 हजार रूपये अंकित होना दर्ज किया है व इकरारना में में कब्जा देना अंकित किया है। अपीलान्टस ने जवाब में आपति ली कि तथा कथित इकरारनामा राज0 स्टाम्प अधि0 1998 की अनुसूचि 21 के अनुसार 10500 रूपये की स्टाम्प डयूटी पर निष्पादित होना आवश्यक है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 10 रूपये ही बतायी गई है। तथा कथित इकरारनामा न तो असल पेश किया गया व न ही साबित किया गया व न ही उचित स्टाम्प पर है। इसके बावजूद भी तथा कथित इकरारनामें के आधार पर निर्णय दिनांक 02.02.2016 पारित करने में भूल की है।

अपीलांट ने आगे कथन किया है कि सम्पति हस्तान्तरण अधि0 की धारा 54 के अनुसार एक सौ व उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पति का बेचाना रजिस्टर्ड बयनामें के द्वारा ही हो सकता है व ऐसा बेचान रजिस्टेशन अधि0 की धारा 13 के अनुसार उप पंजीयन द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है। इस प्रकार तथाकथित बयनामे से खातेदारी का स्थानान्तरण नहीं होता है। रेस्पोन्डेंट नंबर 1 के प्रार्थना पत्र के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को विवादित जमीन खसरा नंबर 346/2 व खसरा नंबर 347/1 वाके ग्राम कीरपुरा की खातेदारी नहीं मिली व प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की खातेदारी होनेका तथ्य दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी रेस्पोडेन्ट नंबर1 की खातेदारी दर्ज नहीं है। इस कारण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में योग्य अदालत मातहत ने भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधि की धारा 183 बी के तहत केवल टिनेन्ट को ही प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 विवादित जमीन का टीनेन्ट न होने से प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। जमीन खसरा नंबर 346/2 रकबा 1.74 हैक्टर व खसरा नंबर 347/1 रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम कीरपुरा का खातेदार पठाना राम था व पठाना राम ने इस जमीन में 2/3 हिस्से कीजमीन श्रीमती कश्मीरी देवी व श्रीमती सरोज देवी अपीलान्टस को व 1/3 हिस्से की जमीन अपीलान्ट रामू को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.3.2011 से विक्रय कर कब्जा करवा दिया। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी का नहीं है। योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस को अतिक्रमी घोषित किये बिना ही निर्णय पारित करने में भूल की है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के निर्णय 02.02.2016 को खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र अं0धारा 183 बी0 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलान्ट्स के खिलाफ धारा 183 बी. राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

Scanned by CamScanner

अपीलांट्स अतिक्रमी नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भागीरथमल ने तथाकथित इकरारनामा दिनांक 11.07.2007 उचित स्टाम्प पर नहीं होने के कारण साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त इकरारनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भागीरथ मल ने बैयनामा निष्पादित करवाने के लिए व अपीलांट के हक में बैयनामों को वोइड अवैध घोषित करवाने के लिए एक दावा भागीरथमल बनाम पठानाराम आदि पेश किया जो वर्तमान में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 में विचाराधीन है। इस दावे में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने पठानाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2013 को होना दर्ज कर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नंबर–1 भागीरथमल के अनुसार पठानाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2013 को हो गयी। इसके बावजूद भी मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ आवेदन पत्र पेश करने से आवेदन पत्र व निर्णय दिनांक 02.02.2016 खारिज होने योग्य है। योग्य अदालत मातहत ने प्रकरण में बिना कोई साक्ष्य न लेकर निर्णित पारित करने में भूल की है। साक्ष्य के लिए आदेशिका में आदेश ही दर्ज नहीं किया। अपीलांटस व उसके अभिभाषक की बहस बिना सूने ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने तथा कथित इकरारनाम दिनांक 11.07.2007 में प्रतिफल राशि 2 लाख 10 हजार रूपये अंकित होना दर्ज किया है व इकरारना में में कब्जा देना अंकित किया है। अपीलान्टस ने जवाब में आपति ली कि तथा कथित इकरारनामा राज0 स्टाम्प अधि0 1998 की अनुसूचि 21 के अनुसार 10500 रूपये की स्टाम्प ड्यूटी पर निष्पादित होना आवश्यक है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 10 रूपये ही बतायी गई है। तथा कथित इकरारनामा न तो असल पेश किया गया व न ही साबित किया गया व न ही उचित स्टाम्प पर है। इसके बावजूद भी तथा कथित इकरारनामें के आधार पर निर्णय दिनांक 02.02.2016 पारित करने में भूल की है। सम्पति हस्तान्तरण अधि0 की धारा 54 के अनुसार एक सौ व उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पति का बेचाना रजिस्टर्ड बयनामें के द्वारा ही हो सकता है व ऐसा बेचान रजिस्टेशन अधि0 की धारा 13 के अनुसार उप पंजीयन द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है। इस प्रकार तथाकथित बयनामे से खातेदारी का स्थानान्तरण नहीं होता है। रेस्पोन्डेंट नंबर 1 के प्रार्थना पत्र के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को विवादित जमीन खसरा नंबर 346/2 व खसरा नंबर 347/1 वाके ग्राम कीरपुरा की खातेदारी नहीं मिली व प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की खातेदारी होनेका तथ्य दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी रेस्पोडेन्ट नंबर–1 की खातेदारी दर्ज नहीं है। इस कारण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में योग्य अदालत मातहत ने भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधि की धारा 183 बी के तहत केवल टिनेन्ट को ही प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 विवादित जमीन का टीनेन्ट न होने से प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। जमीन खसरा नंबर 346/2 रकबा 1.74 हैक्टर व खसरा नंबर 347/1 रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम कीरपुरा का खातेदार पठाना राम था व पठाना राम ने इस जमीन में 2/3 हिस्से की जमीन श्रीमती कश्मीरी देवी व श्रीमती सरोज देवी अपीलान्टस को व 1/3 हिस्से की जमीन अपीलान्ट रामू को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.3.2011 से विक्रय कर कब्जा करवा दिया। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी का नहीं है। योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस को अतिक्रमी घोषित किये बिना ही निर्णय पारित करने में भूल की है।

अति. जिला कलेक्टर
सुजानगढ़

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,झुंझुनू ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2017 द्वारा इकरारनामें को उचित स्टाम्प पर नहीं मानकर इस इकरारनामें को इम्पाउण्ड करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के आधार पर तथाकथित इकरारनामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता। अतः में अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के निर्णय 02.02.2016 को खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र अं0धारा 183 बी0 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भागीरथमल दिनाक 11.7.2007 को पठानाराम से भूमि खसरा नंबर 346/2 रकबा 1.74 हैक्टर ,खसरा नंबर 347 रकबा 0.51 हैक्टर ग्राम कीरपुरा में जरिये इकरारनामा द्वारा खरीदी थी। दिनांक 11.7.2007 को ही पठानाराम से भूमि का कब्जा प्राप्त कर तारबन्दी कर काश्त करने लग गया था। रेस्पोडेन्ट को विकय की गई भूमि को पठानाराम ने दिनांक 16.3.2011 को अपीलांट को विकय करने पर दिनांक 7.6.2011 को उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिसथाना गुढा गौड़जी में प्राथमिकी संख्या 174/11 दर्ज करवाई। रेस्पोन्डेंट अपनी खरीदशुदा भूमि काश्त करता आ रहा है। पठानाराम ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 में चल रहे वाद में जवाब दावे में यह तथ्य स्वीकार किया है कि उक्त वर्णित भूमि का अन्य भूमियों के साथ भूलवश विकय हुआ है। भूमि का दूबारा बेचान नहीं किया गया है। स्व0 पठानाराम ने अपने जवाब दावा में यह भी अंकित किया है कि अगर वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं। रेस्पोडेन्ट द्वारा स्व0 पठानाराम से उक्त वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 11.7.2007 को कय की गई थी और भूमि का कब्जा भी उसी दिवस को प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात उक्त भूमि को पुनः विकय किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

दौराने बहस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि हस्तगत प्रकरण में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2003 आर0 बी0 जे0 508 पैरा–9, 2014 आर0 एल0 डब्ल्यू0 (2) आर0 जे0 799, 2011 डी.एनजे (सुप्रीम कोर्ट) 1058, 2015 डी. एन.जे (1) आर0जे0 424, 2016 आर0 आर0 टी0 (1) 586, 2016 आर.आर.टी (1) पेज 723 पेश किया। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पक्ष में स्व0 पठानाराम द्वारा निष्पादित उक्त इकरारनामा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 उक्त इकरारनामा के आधार पर पठानाराम द्वारा किये गये दूसरे बेचान बैयनामों को अवैध घोषित करवाने हेतु एक वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 के न्यायालय में विचाराधीन है। अभी उक्त इकरारनामा विवादित है। बाद साक्ष्य सिविल न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

Scanned by CamScanner

ही पक्षकारान के अधिकार तय होने है। 2014 आर0 एल0 डब्ल्यू0 (2) आर0 जे0 799,में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विक्रय इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सिविल न्यायालय ही सक्षम है। धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार ही बेदखली की कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड से रेसपोन्डेन्ट भागीरथमल खातेदार नहीं है। जिस विक्रय इकरारनामें के आधार पर भागीरथमल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसको लेकर स्वयं रेस्पोंडेंट ने सिविल न्यायालय में वाद दायर कर रखा है उसकी वैधनिकता एवं पक्षकारों के अधिकार सिविल न्यायालय में तय होनी हैं ऐसी स्थिति में बिना खातेदारी अधिकार के रेस्पोंडेन्ट भागीरथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश दिनांक 02.02.2016 विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2016 उनवानी भागीरथमल बनाम पठानाराम वगैरा मु0 नं0 02/2015 को निरस्त किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर कैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Scanned by CamScanner